

फाइल सं. 2-1/2024-कलाकार पेंशन (पी. आर्ट्स)

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय

सूचना

दिनांक: 28 अक्टूबर 2024

विषय: 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी रखने हेतु डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने के संबंध में।

'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना', जो पहले 'कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना' के नाम से जानी जाती थी, के सभी चयनित लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) नवंबर 2024 के महीने में जारी करवा कर इसे इस मंत्रालय को नीचे दिए गए पते पर भेजें, ताकि योजना के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता जारी रखी जा सके। नवंबर 2024 में DLC प्राप्त न होने की स्थिति में उनकी वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारी (पी. आर्ट्स)

(कलाकार पेंशन), कक्ष सं. 205

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, पुरातत्व भवन,

जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

ईमेल: doc.veteranartist@gmail.com

2. चयनित कलाकार जिन्होंने अभी तक अन्य अनिवार्य दस्तावेज जैसे राज्य हिस्सेदारी प्रमाण (यदि राज्य सरकार से कलाकार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं), बैंक प्राधिकरण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार की प्रति जमा नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि नवंबर 2024 में उत्पन्न DLC के साथ इन दस्तावेजों को भी उपरोक्त पते पर भेजें, ताकि उनके मामले में वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

3. सभी लाभार्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने निकटतम केनरा बैंक शाखा में खाता खोलें (यदि पहले से नहीं खोला है) और इसका विवरण संशोधित बैंक प्राधिकरण पत्र तथा DLC के साथ इस मंत्रालय को प्रदान करें ताकि वित्तीय सहायता का निर्बाध वितरण हो सके, क्योंकि मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरण के लिए केनरा बैंक के साथ एक समझौता किया है।
